न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय, मुजफ्फरपुर।

सत्र वाद सं0– 164/2022

सरकार बनाम अमर शर्मा वगै0

28.04.2022

प्रस्तुत जमानत आवेदन काराधीन आवेदक अभियुक्त अमर शर्मा की ओर से दाखिल किया गया है जो बेला थाना कांड सं0–33/2021 अन्तर्गत धारा 411/34, 412/34 एवं 414/34 भा0द0वि0 से सम्बंधित है पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

अभियोजन का केस सूचक के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि पु0 स0 अ0 नि0 लक्षमण सिंह, बेला थाना, दिनांक 14.07.2021 को अपने साथ डी0 ए0 पी0 सिपाही 1077 नन्द लाल प्रसाद साथ अन्य पुलिस बल के साथ संध्या गश्ती के लिए थाना से 16.00 बजे प्रस्थान किये थे। गश्ती के दौरान हीं एक मुखवीर द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम बेला छपरा शर्मा टोला के अमर शर्मा एवं कुन्दन शर्मा बिना कागजात के अपाची मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन सं0–BRO6AW-2136 से घुम रहे है। ये लोग पूर्व में जेल जा चुके है। ये लोग वर्तमान में मोटरसाईकिल चोरी कर बेचने का काम कर रहें है। कुछ देर बाद ये दोनो इमली चौक के तरफ आने वाले है। पुलिस बल के साथ इमली चौक के पास हीं पक्की सड़क पर वाहन जाँच करने लगे, समय करीब 17.20 बजे एक ब्लू अपाची मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति सवार होकर आते दिखाई दिये। जैसे हीं इन दोनों का नजर पुलिस टीम पर पड़ी कि ये दोनों युवक मोटरसाईकिल घुमाकर भागना चाहे परन्तु पुलिस बल के द्वारा मोटरसाईकिल चालक को पकड़ लिया गया, पीछे बैठा व्यक्ति भाग निकला। जब मोटरसाईकिल चालक से नाम पता पूछा गया तो ये अपना नाम 1. अमर शर्मा बताया तथा गाड़ी का कागजात माँग किया गया तो ये कोई स्पष्ट जबाब नहीं दिये। कड़ाई से पूछ–ताछ किया गया तो बताये कि इस मोटरसाईकिल को घर से आगे लड़का कुन्दन शर्मा एवं अपने साथी तौफिक उर्फ मुस्कान के साथ चोरी कर कहीं से लाया था। इस मोटरसाईकिल को बेचने हेतु अभी हम ये दोनों कन्हौली चौरी के थाना मिठनपुरा के निखिल श्रीवास्तव को देने जा रहे थे तो पकड़ में आ गये। पूछ–ताछ के क्रम में ये बताये कि इसके पूर्व दो मोटरसाईकिल एक उजला अपाची, एक ब्लू स्कूटी मोटरसाईकिल निखिल को, मै कुन्दन शर्मा एवं तौफिक को बेचने हेतु दिये थे जो ग्राहक खोजकर दोनो मोटरसाईकिल को बेचवा दिये। बिक्री के पैसा को ये दोनो आपस में बाँट लिये। दिनांक 03.07.2021 को ईमली चौक से दक्षिण गली नं0–2 से एक अपाची मोटरसाईकिल को कुन्दन और तौफिक मिलकर चुराये थे जिसे बेचने हेतु तौफिक उर्फ मुस्कान ले गया है, आप लोग चलेंगे तो मै तीनो गाड़ी को बरामद करवा दुँगा। उक्त जुर्म में विधिवत गिरफ्तार किया तथा दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष उक्त मोटरसाईकिल को जप्त किया जिस पर दोनों साक्षियों ने स्वेच्छा से अपना हस्ताक्षर बनाये। अभियुक्त अमर शर्मा को लेकर निखिल श्रीवास्तव के घर के पास पहुँचा, निखिल श्रीवास्तव मिले तब उनसे मोटरसाईकिल के बारे में

पूछ–ताछ किया तो ये अपना अपराध स्वीकार किये तथा चोरी की मोटरसाईकिल बेचवाने की बात कबूल किये एवं ये बताये कि एक उजला अपाची मोटरसाईकिल एवं ब्लू स्कूटी मोटरसाईकिल बेचवाने हेतु अमर शर्मा, कुन्दन शर्मा एवं तौफिक दिये थे इन तीनो के सामने हीं बारह हजार रूपये में शैलेन्द्र कुमार को उजला अपाची एवं ब्लू स्कूटी मोहम्मद छोटू को चार हजार रूपये में बेचवाया हूँ, चलिए मै दोनों मोटरसाईकिल के साथ खरीददार को बुलवा देता हुँ। तब ये अमर शर्मा और निखिल श्रीवास्तव को लेकर शैलेन्द्र कुमार एवं छोटू को बेला सांई मन्दिर के पास आने हेतु दुसरे के माध्यम से बुलवाये। शैलेन्द्र कुमार अपने अपाची मोटरसाईकिल के साथ सांई मन्दिर के पास आये, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सं0–BRO6VT-8568 है, जब इनका नाम पता पूछा गया तो ये अपना नाम शैलेन्द्र कुमार बताये। तब तक मोहम्मद छोटू भी बिना नम्बर प्लेट के ब्लू स्कूटी मोटरसाईकिल से आये तब इसे भी इन लोगों के समक्ष तथा दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष पूछ–ताछ किया तो स्कूटी सवार अपना नाम मो0 छोटू बताया। जब उनसे इस स्कूटी के बारे में पूछा गया तो ये बताये कि इस गाड़ी को चार हजार रूपया में निखिल श्रीवास्तव हमको दिलवाये है। साथ हीं अपाची चालक शैलेन्द्र कुमार से उक्त अपाची मोटरसाईकिल के बारे में पूछा गया तो ये बताये कि इस मोटरसाईकिल को मुझे बारह हजार रूपये में निखिल श्रीवास्तव अपने दोस्त अमर शर्मा, कुन्दन शर्मा एवं तौफिक उर्फ मुस्कान से दिलवाये है। इस तरह अपाची चालक शैलेन्द्र कुमार एवं मो0 छोटू अपने मोटरसाईकिल से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसने कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष जमानत आवेदन दाखिल नही किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक एक सम्भ्रान्त परिवार से आते है। आवेदक दिनांक 15.07.2021 से कारा में है। इस वाद के तीन सह अभियुक्तों की जमानत माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा आदेश दिनांक 31.03.22 एवं 01.04.2022 क्रि0मिस0 सं0–608226/21, 61759/21 एवं 62709/21 के द्वारा दिया गया है। आवेदक की भागने की सम्भावना नहीं है। जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा निवेदन किया कि आवेदक इस वाद के मुख्य अभियुक्त है तथा उनके पास से चोरी की मोटरसाईकिल बरामद हुई है। इस अभियुक्त के विरूद्ध अन्य अभियुक्तों से भिन्न आपराधिक इतिहास जो कांड दैनिकी के कंडिका–33 एवं 42 में दर्ज है। इसलिए अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

मैने अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के कंडिका–42 में

आवेदक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास दर्ज जिसके अवलाकन से विदित है कि आवेदक के विरूद्ध सदर थाना कांड सं0— 296/20 धारा 399, 402 भा0द0वि0 एवं 25(1—बी)ए, 26 35 आर्म्स एक्ट में आरोपित है तथा कांड दैनिकी के कंडिका—33 में एक अन्य केस सदर थाना कांड सं0— 472/21 अन्तर्गत धारा 379 भा0द0वि0 इस अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज है। इस वाद में आवेदक की ओर से तीन कि0 मिस0 संख्या में पारित आदेश की प्रति दाखिल किया गया है के अवलोकन से विदित है कि उक्त सभी अभियुक्तों के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा जमानत दी गई है। वर्तमान में आवेदक अभियुक्त इस वाद के मुख्य अभियुक्त है, आवेदक अभियुक्त मौके से गाड़ी के साथ पकड़े गये है तथा इनका मामला उक्त तीनों अभियुक्तों से भिन्न है एवं इनके विरूद्ध दो आपराधिक इतिहास दर्ज है। वाद की इस परिस्थिति में आवेदक को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूँ। तदनुसार आवेदक अभियुक्त **अमर शर्मा** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

Sd/-

अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय,
मुजफ्फरपुर।